



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08042026-271641  
CG-MH-E-08042026-271641

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1740]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1740]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 7 अप्रैल, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 1808(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 20 सितम्बर 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4381 (E) तारीख 19 सितम्बर 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "पाचोरा - जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) (यूटीपीएच) जलगांव, जिला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक तरुण भारत" और दैनिक देशोन्नति में तारीख 18-03-2025 को प्रकाशित किया गया था ।

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे,

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 3 गाँव का विशेष रेल परियोजना “पाचोरा - जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे नं/ गट नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादीत क्षेत्र (हे.आर.)
1	13/25	शेलवड	बोदवड	कैलास रामकृष्ण माळी, अंजनाबाई रतन माळी, शशीकला अशोक रोकडे, कलाबाई अर्जुन माळी सामाईक क्षेत्र	136/2	2.31	0.05
2				वंदना लक्ष्मण सपकाळ, बेबाबाई बंडु सपकाळ, गणेश बंडु सपकाळ, शितल गोपाळ मोरे, मनिषा देविदास मुळे सामाईक क्षेत्र	144/1 144/2	0.93 0.93	0.35
3				सुनिल भास्करराव पाटील	145/अ	0.50	
4				एकनाथ ओंकार सपकाळ बेबाबाई बंडु सपकाळ	198	2.58	0.02
					<b>कुल</b>	<b>7.25</b>	<b>0.59</b>
1	12/25	जलचक्र खू.	बोदवड	सुषमा सुधाकर बराडे	131	1.23	0.08
2				विलास लक्ष्मण पाटील, सोपान लक्ष्मण पाटील, नंदाबाई विलास पाटील	66/1	3.01	0.18
3				विलास लक्ष्मण पाटील	66/2	0.50 बिनशेती	
					<b>कुल</b>	<b>4.74</b>	<b>0.26</b>
1	19/25	शेंदुर्णी	जामनेर	सुहास शांतीलाल जैन	1350	1.14	0.05
2				सायेराबी शेख अय्युब, शेख शरीफ शेख अय्युब, गुलाम दस्तगीर शेख अय्युब,	81/3	3.25	0.09

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे नं/ गट नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादीत क्षेत्र (हे.आर.)
				सगीरा बी अब्दुल सईद, जाकीराबी अब्दुल हमीद, जहराबी अब्दुल सलीम, महेमुदा बी शेख खलील, फरहत जहा मो फारुक सामाईक क्षेत्र			
3				शेनफडु तुकाराम कोळी शिवाजी तुकाराम कोळी सामाईक क्षेत्र	79	1.53	1.02
4				गरिबदास शंकर कोळी	78	0.69	0.23
5				भिकुबाई बाबुलाल गुजर	77/3	1.66	0.01
6				भिकुबाई बाबुलाल गुजर	77	1.66	0.05
7				संजय शांतीलाल जैन	74	0.89	0.04
8				भुषण शरद गरुड, प्रकाश लक्ष्मण गरुड, रविंद्र लक्ष्मण गरुड, सुभाष लक्ष्मण गरुड सामाईक क्षेत्र	73	1.67	0.01
9				सेकंडरी एज्युकेशन सोसायटी	1373	2.51	0.04
10				ओंकार श्रावण गुजर	1372	1.79	0.35
					कुल	16.79 हे.आर.	1.89 हे.आर.
					कुल योग	28.78 हे.आर.	2.74 हे.आर.

[फा. सं. G197/PC-JMNR/Jamner Bodhwad Tq/3Vlgs/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

## NOTIFICATION

Mumbai, the 7th April, 2026

## Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

**S.O. 1808(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4381 (E) dated 19<sup>th</sup> September 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 20<sup>th</sup> September 2022 (hereinafter referred to as the said notification ) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge** in the district of **Jalgaon** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for SLAO(1)UTPH.Jalgaon **daily Marathi newspapers namely “Dainik Tarun Bharat” & “Dainik Deshonnati”** Dated 18-03-2025 respectively under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge for 3 villages in the District Jalgaon in the State of Maharashtra.**

S.N	Land Acquisition Proposal No.	Village Name	Taluka	Land Owner's name according to 7/12 Extract	Survey No./ Gatt No.	Area According to 7/12 Extract (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13/25	Shelvad	Bodwad	Kailash Ramakrishna Mali, Anjanabai Ratan Mali, Shashikala Ashok Rokade, Kalabai Arjun Mali Common area	136/2	2.31	0.05
2				Vandana Laxman Sapkal, Bebabai Bandu Sapkal, Ganesh Bandu Sapkal, Sheetal Gopal More, Manisha Devidas Mule Common area	144/1 144/2	0.93 0.93	0.35
3				Sunil Bhaskarrao Patil	145/37	0.50	0.17
4				Eknath Omkar Sapkal, Bebabai Bandu Sapkal	198	2.58	0.02
					<b>Total</b>	<b>7.25</b>	<b>0.59</b>
1	12/25	Jalchakra Khurd	Bodwad	Sushma Sudhakar Varade	131	1.23	0.08
2				Vilas Laxman Patil, Sopan Laxman Patil, Nandabai Vilas Patil	66/1	3.01	0.18
3				Vilas Laxman Patil	66/2	0.50 Non-Irrigation	
					<b>Total</b>	<b>4.74</b>	<b>0.26</b>

1	19/25	Shendumi	Jamner	Suhas Shantilal Jain	1350	1.14	0.05
2				Sayerabi Sheikh Ayub, Sheikh Sharif Sheikh Ayub, Ghulam Dastagir Sheikh Ayub, Sagira B Abdul Saeed, Zakirabi Abdul Hameed, Zahrabi Abdul Saleem, Mahemuda B Sheikh Khalil, Farhat Jahan Md Farooq Common area	81/3	3.25	0.09
3				Shenfadu Tukara Koli, Shivaji Tukaram Koli Common Area	79	1.53	1.02
4				Garibdas Shankar Koli	78	0.69	0.23
5				Bhikubai Babulal Gujar	77/3	1.66	0.01
6				Bhikubai Babulal Gujar	77	1.66	0.05
7				Sanjay Shantilal Jain	74	0.89	0.04
8				Bhushan Sharad Garud, Prakash Laxman Garud, Ravindra Laxman Garud, Subhash Laxman Garud Common area	73	1.67	0.01
9				Secondary Education Society	1373	2.51	0.04
10				Omkar Shravan Gujar	1372	1.79	0.35
				<b>Total</b>	<b>16.79 Ha</b>	<b>1.89 Ha</b>	
				<b>Grand Total</b>	<b>28.78 Ha</b>	<b>2.74 Ha</b>	

[F. No. G197/PC-JMNR/Jamner Bodhwad Tq/3VIgs/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)